1926

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA -800001

No. L. A. Sur/ 2316 **Dated: -** 24.12.09

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Patna.

Sir,

Audit Report No.-**318/2009-10** on the accounts of **Nagar Parishad, Samastipur** for the period **2008-09** is enclosed for your kind information and necessary action..

Yours Sincerely

Sr. Audit Officer/Surcharge

24.12.09

Encl: -As above

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 318/09-10

1. प्रस्तावना :-

नगर परिषद, समस्तीपुर का वर्ष 2008-09 के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा 15.07.09 से 29.08.2009 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन :-

क0सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	कार्य अवधि
I.(क)	श्री परितोष कुमार, बि0प्र0से0	01.04.08से 02.03.09
(ख)	श्री ललित कुमार दास, भुमि सुधार उप-समाहर्त्ता	03.03.09से 31.03.09
II.	सभापति	कार्य अवधि
(क)	श्री मति अनिता राम	01.04.08से 31.03.09
III.	उप सभापति	कार्य अवधि
(क)	मो0 अकबर जमाल खाँ	01.04.08से 31.03.09

3. लेखा-परीक्षा का कार्य क्षेत्र :-

लेखा-परीक्षा में नमूना जाँच किये गये पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट I 'अ' में एवं जिन पंजियों/अभिलेखों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या संधारित नहीं था की सूची को प्रतिवेदन के परिशिष्ट I 'ब' में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववत्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

पूर्ववत्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन हेतु, पूर्व के भी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बार-बार सुझाव दिए गए हैं तथा सरकार द्वारा भी इस सम्बंध में निर्देश दिए गए है। परंतु अनुपालन हेतु कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तथा बहुत सारी कंडिकाएँ अनुपालन हेतु वर्षो से लंबित थी। कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु त्वरित ठोस उपाय किए जाए । उपलब्ध संचिकाओं के आधार पर टिप्पणी नीचे है :-

224

क0 सं0	अं0प्र0सं0	अंकेक्षण वर्ष	कुल कंडिकाओं की सं0	निपटाए गए कंडिकाओं की सं0	शेष कंडिकाओं की सं0
1	149/90-91	1987-88	37		37
2	151/92-93	1988-89	35	07	28
3	7/95-96	1989-90से 1993-94	61	26	35
4	92/99-2000	1994-95से 1998-99	74	—	74
5	87/03-04	1999-2000से 2000-01	57	17	40
6	419/07-08	2001-02से 2006-07	29	17	12

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 419/07-08 व 384/2008-09 की अनुपालन प्रतिवेदन अलग से समर्पित की जा रही है।

5. लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ :-

लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दी गई है :-

क0 सं0	कंडिका का विवरण	राशि रू0 (लाख में)	कंडिका सं0
1.	विचलन	35.20	9
2.	अंकेक्षण के दौरान वसूल राशि	0.18	10&10(I)
3	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप कर की राशि जमा नहीं	73.95	12
4	बस स्टैण्ड बंदोबस्ती की राशि वसूल नहीं	43.13	13(ध)
5	पाँच कर्मियों की अनियमित नियुक्ति	5.19	15(क)
6	आठ कर्मियों की अवैध नियुक्ति	3.05	15(ख)
7	दो टेम्पू का साढ़े पाँच वर्ष से बेकार रहना	2.62	17(V)
8	असमायोजित अग्रिम	47.33	21

6. संव्यवहार :-

नगर परिषद के आय का मुख्य स्त्रोत इसके आंतरिक संसाधनों से प्राप्त आय तथा सरकार से योजना एवं गैर-योजना मद में प्राप्त अनुदान था। लेखापाल की रोकड़ बही के आधार पर वर्ष 2008-09 की प्राप्ति, व्यय तथा अंतशेष का सारांश इस प्रकार था :-

क0सं0	विवरण		राशि
1.	प्रारम्भिक शेष 01.04.08 को		3427029.66
2.	प्राप्ति :–		
(I.)	सरकारी अनुदान :–		
(क)	वेतन व भत्ते	8724820	
(ख)	पार्षदों के भत्ते–	135600	
(ग)	योजना–	21019075	
(घ)	बारहवीं वित्त आयोग–	571030	
		कुल – 30450525	
(II.)	स्वंय के स्त्रोतों से प्राप्त आय –	4084979.86	34535504.86
3	कुल प्राप्ति (1+2)		37962534.52
4	व्यय :–		
(I.)	योजना पर :		
(क)	ट्रैक्टर की खरीद	425000	
(ख)	वापाकल गड़ना	766867	
(ग)	बारहवीं वित्त आयोग	1959850	
		कुल 3151717	
(II.)	स्थापना मद कुल व्यय–	13429098	
		कुल व्यय	16580815
5	अंतशेष 31.03.09 को (3–4)		21381719.52

कोषागार पासबुक में भी 31.03.2009 को शेष राशि 21381719.52 रूपये थी।

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर परिषद के अपनी स्त्रोतों से आय बहुत ही कम थी और यह राशि इसके स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति में नाकाफी था। इस राशि के कम होने का मुख्य कारण होल्डिंग टैक्स में वर्ष 1986 से बढ़ोतरी नहीं होना, वर्षो से दुकान किराया में बढ़ोतरी नहीं होना, रेलवे से सेवा–कर की वसूली नहीं होना एवं कर्पूरी बस स्टैण्ड की बंदोबस्त राशि (लगभग 40 लाख रूपये) की वसूली नहीं होना था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित प्रयास करें (कर निर्धारण वर्गफीट के आधार पर, टॉल टैक्स की वसूली, दुकान

222

किराया की दर में बढ़ोतरी) जिससे कि नगर परिषद का आंतरिक संसाधन की राशि में वृद्धि हो और अपनी स्थापना मद की व्यय की प्रतिपूर्ति कर सके।

6.(क) रोकड़ बही का अनियमित संधारण :–

लेखापाल की रोकड़ बही व राष्ट्रीय सम विकास योजना की रोकड़ बही ठीक से संधारित नहीं थी। इसमें निम्न त्रुटियों पाई गई :-

(i) रोकड़ बही दोहरा लेखा प्रणाली में संधारित नहीं था।

(ii) व्यय की विवरणी रोकड़ बही में दर्ज नहीं था। व्यय की वर्गीकरण भी नहीं किया गया था।

(iii) कोषागार से पैसा निकालकर सहकारी बैंक के खाता संख्या 18017 मे रखा जाता था। परंतु अंकेक्षण में इस बैंक खाता का विवरणी, रोकड़/सहायक रोकड़ बही प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में बैंक में शेष राशि 31.03.09 को ज्ञात नहीं की जा सकी।

(iv) राष्ट्रीय सम विकास योजना की रोकड़ बही में अभिश्रव संख्या, चेक संख्या दर्ज नहीं था। कुछ मामलों में व्यय राशि एवं कुछ मामलों में व्यय का उद्देश्य व विवरणी भी दर्ज नहीं था। समाधान विवरणी भी नहीं बनाई गई थी।

उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर रोकड़ बही का संधारण किया जाए।

7. बजट प्राक्कलन :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के प्रावधानों के अनुसार बजट प्राक्कलन, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित तैयार करेंगे और वह आय–व्यय का प्राक्कलन होगा, जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन प्राप्त और उपगत किए जानेवाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया गया हो।

धारा 83 के प्रावधानानुसार, सशक्त स्थायी समिति इसकी जांच करेगी और अपनी अनुशंसा सहित, यदि कोई हो, प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासंभव शीघ्र नगरपालिका के समक्ष पेश करेगी।

धारा 84 के प्रावधानानुसार नगरपालिका प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक बजट प्राक्कलन को स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उप निदेशक (चूंकि समस्तीपुर 'ख' श्रेणी का नगर परिषद है) को प्रस्तुत करेंगे। वहाँ से बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा

आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के 31मार्च के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जाएगी।

परंतु उपरोक्त प्रावधानों के विरूद्ध वर्ष 2008-09 की आय-व्ययक 8 मार्च 2008 को तैयार किया गया और नगरपालिका बोर्ड द्वारा 31.03.2008 को पारित किया गया तथा 26.04.2008 को सरकार को भेजा गया अर्थात एक माह विलंब से। सरकार के द्वारा बजट प्राक्कलन की मंजूरी अब तक अप्राप्त थी। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार करने एवं भेजने में निर्धारित समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया।

पुनः बजट प्राक्कलन, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा इस हेतु विहित प्रपत्र तथा राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अंगीकृत प्रपत्र में तैयार नहीं किए गए थे। मासिक लेखे व वार्षिक लेखे जो शीर्षवार आय व्यय से सम्बन्धित होते हैं, भी वर्षों से तैयार नहीं किए गए जिसके अभाव में आय-व्ययक की शीर्षवार जांच नहीं की जा सकी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि बजट प्राक्कलन निर्धारित समय-सीमा में तैयार कर मंजूरी हेतु सरकार को भेजा जाए, साथ ही इसे विहित प्रपत्र में ही तैयार किए जाए। मासिक लेखे व वार्षिक लेखा के आधार पर ही बजट प्राक्कलन बनाए जाए।

8. सरकारी अनुदान :-

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण अधूरा था। इसमें 01.04.08 को अव्ययित अनुदान, वर्ष 2008-09 में प्राप्त अनुदान, वर्ष 2008-09 के दौरान अभिश्रव वार व्यय तथा 31.03.09 को अव्ययित अनुदान नहीं दर्शाया गया था। इसके अभाव में 31.03.09 को अव्ययित अनुदान राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

हालांकि, रोकड़ बही, रोकड़पाल की रोकड़ बही, अभिश्रव, अंतिम व पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि 01.04.08 को अव्ययित अनुदान की राशि रू0 14040543.00 वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि रू03515713.00 वर्ष 2008-09 के दौरान व्यय राशि रू0 17826209.00 तथा 31.03.09 को अव्ययित अनुदान की राशि रू0 31371507.00 थी।

(विस्तृत विवरणी, विवरण **सं0 II** में संदर्भित है)

220

विवरण में दी गई विवरणी के अनुसार अनुदान पंजी का संधारण किया जाए।

उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट अनुदान की राशि रू0 3137150/.00 जिसे निर्धारित अवधि तक ही खर्च किया जाने के बावजूद भी राशि को खर्च नहीं किया गया। अनुदानों को निर्धारित अवधि में ही व्यय किया जाए। प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि 3879075.00 को प्राप्ति की तिथि से छः माह के अंदर व्यय कर विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाना था। यह राशि 30.09.08 को प्राप्त हुआ था एवं इसे 30.03.09 तक निश्चित रूप से व्यय करना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। यह अनुदान राशि, स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत थी, इस प्रकार 75 प्रतिशत राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ व्यय नहीं करने के कारण नगर परिषद 25 प्रतिशत अर्थात् 1293025 रू0 प्राप्त करने से वंचित है। राशि व्यय नहीं करने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

राशि शीघ्र खर्च कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जाए जिससे कि शेष राशि से वंचित नहीं होना पड़े।

8.(i) वेतन अनुदान/वेतन मद में अधिक मांग :-

(1) बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5/ग0ग0वि0आ0-28-01/07-4493 दिनांक 27.08.08 में संन्निहित कंडिका 2 में तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा जो वित्तीय विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2102 दिनांक 26.03.07 एवं मंत्रिपरिषद के मद संख्या 12 दिनांक 13.11.07 द्वारा दी गयी स्वीकृति प्रदत्त के आलोक में समस्तीपुर नगर परिषद में 228 कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते मद में पंचम वेतन, 295 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा 50रू0 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता की गणना करते हुए दिनांक 01.04.08 से 31.03.09 तक की अवधि के लिए एक वर्ष के वेतन 10906032.00 का 80 प्रतिशत आवंटन 8724820.00 रू0 स्वीकृत एवं विमुक्त किया।

उपरोक्त राशि का व्यय बकाया वेतन अगस्त 05 से जूलाई 06 तक के लिए किया गया। बिहार सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ही वर्ष 2008-09 हेतु स्वीकृत वेतनादि का भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान की राशि से नगर परिषद के कर्मचारियों को माह अगस्त 05 से जूलाई 06तक के लिए भुगतान किया गया

जो अनियमित था। अनुदान व्यवहृत का प्रमाण पत्र बिहार सरकार को अप्रिल 2009 में प्रेषित कर दिया गया।

(2) वेतन मांग वर्ष 2008-09 की जांच से ज्ञात हुआ कि वास्तविक कार्यरत कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों को दर्शाया गया है । वेतन मांग 223कर्मचारियों के लिए की गयी है जबकि वास्तविक कर्मचारियों की संख्या 213 है जो कि निम्नवत् है -स्वीकृत व कार्यरत बल वेतन

क0सं0	पद	स्वीकृत पद की सं0	कार्यरत (08-09)
1	कनीय अभियंता	2	2
2	चिकित्सक	1	1
3	सहायक लेखापाल	1	1
4	रोकड़पाल	1	1
5	सहायक	12	8
6	टैक्स दरोगा	1	1
7	मिश्रक	1	1
8	जमादार	05	23
9	आदेशपाल	21	29
10	ड्राईवर	04	03
11	कलीनर	04	04
12	टीकाकार	01	01
13	बिजली लाईट	02	01
14	स्वीपर/मेहतर	128	80
15	झाड़ु कश	95	57
	कुल	279	213

223 कार्यरत कर्मचारियों के मांग में दर्शाया गया था जिसमें 10 ऐसे कर्मचारी शामिल है जो 31.03.08 के पूर्व सेवा निवृत हो चूके है।

उक्त कर्मचारियों हेतु वर्ष 2008-09 में 423212 रू0 की मांग वेतनादि के रूप में बिहार सरकार से की गयी थी जिसे विवरणी III में दर्शाया गया है।

(3) निम्नलिखित 5 कर्मचारियों हेतु वेतनादि की मांग वर्ष 2008-09 में बिहार सरकार से की गयी थी जो 12.03.95 नगर परिषद की सेवा से अनुपस्थित है।

218

इनकी नियुक्ति क0सं0 1 व 3 से 5 की 21.03.94 को तथा क0 सं0 2 की 20.06.94 को हुई थी।

1. श्री शशिधर यादव
2. श्री कृष्णा यादव
3. श्री दिलीप रजक
4. श्री किशोर कुमार गुप्ता
5. श्री एम0ए0 मंजर इमाम

उपरोक्त पांच कर्मचारियो हेतु 214980 रू0 की मांग बिहार सरकार से की गयी थी जो निम्नवत है

क0सं0	नाम	वेतन	महंगाई	चि0भत्ता	योग	वर्ष भर का
1	श्री शशिधर यादव	907	2676	50	3633	43596
2	श्री कृष्णा यादव	907	2676	50	3633	43596
3	श्री दिलीप रजक	907	2676	50	3633	43596
4	श्री किशोर कु0गुप्ता	907	2676	50	3633	43596
5	श्री एस0ए0 मंजर इमाम	907	2676	50	3633	43596
					कुल	217980

वर्ष 2008-09 के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग वर्ष 05-06 से 06-07 (अगस्त 06से जुलाई 06) तक बकाया वेतन में उपयोग बिना सरकार के अनुमति के अनियमित है।

9. विचलन :- 35.20 लाख रूपये

I. विशिष्ट अनुदान की राशि का विचलन (19.30लाख रूपये):-

लेखापाल की (पी0एल0) रोकड़ बही, अनुदान पंजी (अधूरा संधारित) कोषागार पासबुक, अंतिम एवं पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन में पाया कि 31.03.09 को अव्ययित अनुदान की राशि 23311623.00 रूपये थी, परंतु लेखापाल की रोकड़ बही का 31.03.09 को अंतशेष राशि 21381719.52 रूपये थी। अर्थात् राशि 1929903.48 रूपये, विशिष्ट अनुदान की राशि का विचलन कर स्थापना मद पर व्यय किया गया। जबकि संस्वीकृति पत्र में किसी भी परिस्थिति में अनुदान की राशि का विचलन वर्जित था। विवरण नीचे है :-

क0सं0	विशिष्ट अनुदान का नाम	31.03.09 को अव्ययित अनुदान राशि
1	बारहवीं वित्त आयोग	790575.00
2	पेय जल (वाटरकेल)	1366373.00
3	प्रशासनिक भवन निर्माण	3879075.00
4	पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार	1339000.00
5	पार्षदों के भत्ते	135600.00
6	कम्प्यूटरीकरण	250000.00
7	पार्क/घाट निर्माण	3500000.00
	कुल	2331623.00

विचलन का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। इस विचलन की राशि की प्रतिपूर्ति कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

II. स्व-वित्तपोषित योजना अंतर्गत गुदरी बाजार में दुकान निर्माण हेतु प्राप्त राशि में से विचलन (11.35 लाख रूपये) :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 419/07-08 वर्ष 2001-02 से 2006-07 के कंडिका 16 व चेक/ड्राफ्ट प्रति पंजी के अवलोकन में पाया कि कुल 6 व्यक्तियों के द्वारा सुरक्षित जमा राशि के रूप में कुल राशि 1150000.00 रूपया दिनांक 05.11.2005 को जमा किया गया।

उपरोक्त राशि में से 15000.00 रूपये श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता को 30.01.06 को दुकान निर्माण हेतु अग्रिम दी गई। इसके उपरांत कोई भी राशि व्यय नहीं की गई, जबकि शेष राशि 1135000.00 रूपये का व्यय वर्ष 2006-07 में स्थापना (वेतन) पर कर दिया गया। राशि के विचलन कर देने के कारण दुकान निर्माण का कार्य बाधित हो गया। साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद भी दुकान निर्माण राशि के अभाव में शुरू नहीं किया गया।

राशि 1135000.00 रूपये विचलन की राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र करते हुए दुकान निर्माण संपन्न कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

III. सम विकास योजना की राशि 4.55 लाख रूपये का विचलनः-

राष्ट्रीय सम विकास की वर्ष 2008-09 की रोकड़ बही व इसकी बैंक विवरणी के मिलान में पाया कि राशि 455000.00 रूपये की व्यय इस योजना से सम्बन्धित नहीं था। चूंकि अंकेक्षण में इसकी अभिश्रव भी प्रस्तुत नहीं की गई

थी तथा राशि भी स्वंय चेक से आहरित की गई थी। तथा भुगतान श्री अशोक कुमार गुप्ता, लेखापाल को अग्रिम की गई थी। इससे स्पष्ट है कि राशि का व्यय कार्यालय के स्थापना मद पर ही किया गया होगा। व्यय का विवरण नीचे हैं :-

दिनांक जिस दिन राशि आहरित की गई	राशि जो आहरित की गई
12.01.09	235000.00
13.01.09	220000.00
कुल	455000.00

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित अभिश्रव को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा व्यय राशि 455000.00 रूपये की प्रतिपूर्ति कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

IV. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की विचलन की राशि 12 लाख रूपये की अंकेक्षण के दौरान प्रतिपूर्ति :-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से मार्च 2009 में 12 लाख रूपये का व्यय कर्मचारियों को होली अग्रिम रू01150000.00 व सफाई कार्य में रू0 50000.00 अग्रिम पर किया गया था।

अंकेक्षण में जब इस व्यय पर आपत्ति की गई तथा राशि प्रतिपूर्ति हेतु कहा गया, तब पी0एल0 चेक संख्या 464742 दिनांक 22.08.09 द्वारा राशि 12 लाख रूपये बचत खाता संख्या 17917, समस्तीपुर, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, समस्तीपुर में जमा किया गया । इस प्रकार विचलन राशि की प्रतिपूर्ति की गयी। होली पर्व पर 214 कर्मियों को 5000.00 रूपये प्रति कर्मी की दर से अग्रिम, दैनिक मजदूरों को 80000.00 रूपये अग्रिम तथा श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा को सफाई कार्य हेतु दी अग्रिम का सामंजन अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. कम/नहीं जमा राशि :-

वर्ष 2008-09 की होल्डिंग रसीद, टौल टैक्स (2009-10) व वर्ष 2001-02 से 2006-07 की होल्डिंग रसीद की मिलान इसके दैनिक संग्रह पंजी से करने पर पाया कि राशि 6013.60 रूपये ही रोकड़पाल के पास जमा की गई तथा शेष राशि 1057.60 रूपये नगरपालिका कोष में जमा नहीं की गई।

हालांकि, जब लेखापरीक्षा में इस बिन्दु को उठाया गया तो श्री उमेश प्रसाद, कर संग्रहकर्त्ता द्वारा राशि 45 रूपये विविध रसीद संख्या 1102 व 1103 दिनांक 31.08.09, श्री बिजेश्वर प्रसाद यादव, कर संग्रहकर्त्ता द्वारा शशि 30 रूपये विविध रसीद संख्या 1108 दिनांक 21.08.09, श्री भुपेन्द्र चौधरी, कर संग्रहकर्त्ता द्वारा राशि 982.92 रूपये विविध रसीद संख्या 1109 दिनांक 26.08.09 तथा 1111 दिनांक 29.08.09 द्वारा जमा किया गया। अर्थात कुल नहीं जमा राशि 1057.60 रूपये अंकेक्षण के दौरान जमा कर दी गई।

(विवरण संख्या IV में संदर्भित)

राशि को वसूल कर समय पर रोकड़ पाल के यहाँ राशि जमा करने की आदत डाली जाए।

10.I. अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन की राशि जमा :– 16502रूपये

अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के दौरान तथा कार्यपालक पदाधिकारी को लिखे गए गुप्त पत्रांक एल0ए0 (आर0के0) 11 दिनांक 08.08.09 लिखने पर श्री राम बिनोद सिंह और श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा राशि 16502.00 रूपये इस अंकेक्षण के दौरान जमा किया गया। विवरण नीचे है :-

क0 सं0	अ0प्र0सं0384/08-09 के कंडिका सं0	कर्मी का नाम जिसके द्वारा राशि जमा की गई	जमा राशि	विविध रसीद व दिनांक
1	8(i)	श्री राम बिनोद सिंह	12819	912 दि0 29.08.09
2	9	श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह	3683	1112 दि0 29.08.09
		कुल	16502	

कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि इसी प्रकार के अन्य लंबित राशि को अविलम्ब वसूल किया जाए तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. II. पासबुक अनुपलब्ध रहने के कारण चेक द्वारा जमा राशि की जांच नहीः–

चेक संख्या 487716 दिनांक 26.04.08 वास्ते 11000.00 रूपये पशुधन गणना के प्रशिक्षण हेतु बजारत, उपसमाहर्त्ता समस्तीपुर से प्राप्त हुआ था, जिसके एवज में विविध रसीद संख्या 7057 दिनांक 09.07.08 बजारत, उपसमाहर्त्ता समस्तीपुर को निर्गत किया गया था। उक्त चेक की राशि जमा से संबंधित न तो चालान एवं न ही पासबुक ही अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया। अंकेक्षण में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि उक्त चेक को किस बैंक में संग्रहण हेतु जमा

214

किया गया। अतः उक्त चेक की राशि का जमा अगले अंकेक्षण में निश्चित रूप से दिखावें अन्या संबंधित व्यक्ति से वसूली की जायेगी।

10.III. रसीद बुकों की प्रस्तुति नहीं :–

वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक की अप्रस्तुत पेशाकर रसीदों, विविध रसीदों होर्ल्डिग रसीदों की इस वर्ष के अंकेक्षण में जांच करने तथा वर्ष 2007–08 तथा 2008-09 में उपरोक्त रसीदों की जाँच में पाया कि पेशाकर रसीद बुक (7 संख्या), होर्ल्डिग रसीद बुक (12 संख्या) को अंकेक्षण में बार–बार मौखिक तथा लिखित अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(विवरण विवरणी संख्या V में संदर्भित)

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त रसीद की वसूली राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया है। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त सभी रसीद बुकों को अविलम्ब कार्यालय में प्राप्त किया जाए, जिससे कि संभावित वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगे। उपरोक्त सभी रसीद बुकों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

11. गृह कर का मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं :–

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के नियम 9 एवं 10 के आलोक में प्रत्येक नगरपालिका को मांग एवं वसूली पंजी को संधारित करना नितांत अनिवार्य है। लेकिन अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि मांग एवं वसूली का संधारण नगर परिषद के द्वारा 22 वर्षों से नहीं किया गया है। केन्द्रीय मांग एवं वसूली पंजी के अभाव मे वास्तविक मांग के अनुसार संग्रह किया जा रहा था या नहीं इसकी जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

नियम–5 के अनुसार कर संग्राहक को भी अपने वार्ड की हस्त मांग एवं वसूली रखना है। कर संग्राहक द्वारा हस्त मांग एवं वसूली पंजी को भलीभाँति संधारित नहीं किया गया था। हस्त मांग एवं वसूली पंजी संधारण में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी थी।

1. विहित प्रपत्र में बकाया मांग हेतु कॉलम नहीं है। लेकिन नगरपालिका द्वारा प्रदत्त हस्त मांग एवं वसूली पंजी में बकाया हेतु कॉलम है। जिसमें राशि अंकित नहीं था।

2. बकाया कॉलम राशि अंकित करने के बदले बकाया वर्ष अंकित था।

3. कुछ पंजी में सिर्फ राशि अंकित था, किस वर्ष के लिए था, अंकित नहीं था ।

4. किस रसीद के तहत बकाया राशि वसूली गयी थी, अंकित नहीं था।

5. किस आधार पर बकाया राशि की वसूली की गयी थी, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका।

6. किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा भी वसूली गयी की जांच हस्त मांग एवं वसूली पंजी से नहीं की गयी थी।

केन्द्रीय मांग एवं वसूली पंजी का संधारण न होने की स्थिति, राजस्व छीजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः नगर परिषद में केन्द्रीय मांग एवं वसूली पंजी एवं बकाया गृह कर आदि हेतु पंजी का संधारण करवाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्रवाई की जाय।

11. (I) कर का पुनरीक्षण :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 में स्पष्ट प्रावधान है कि हर पाँच वर्ष पर एक बार नई मूल्यांकन और कर निर्धारण करना है। लेकिन समस्तीपुर नगरपरिषद के द्वारा 1986 के बाद से नई मूल्यांकन एवं कर निर्धारण नहीं किया गया है। 22 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नई मूल्यांकन एवं कर निर्धारण नहीं होने से नगर परिषद निधि को राजस्व की क्षति हो रही है।

अतः नगरपालिका की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु अविलम्ब कर पुनरीक्षण की जाय।

11. (II) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं :–

बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के पत्रांक 1833 दिनांक 23.06.05 के द्वारा गृह कर वसूली हेतु 8338500.00 रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन समस्तीपुर नगर परिषद द्वारा वर्ष 2008-09 में गृह करादि में मात्र 1507610.04 रूपये ही संगृहीत किया। जो कि निर्धारित लक्ष्य का 18.08 प्रतिशत है। संगृहीत राशि स्थापना व्यय एवं दिनानुदिन आव्य व्यय हेतु भी अपर्याप्त है।

संगृहीत राशि कम होने का निम्नलिखित कारण है :–

(i) प्रथम त्रैमासिक के प्रथम दिन से 15 दिनों के अंदर कर नहीं देने पर मांग सूचना कर दाता को प्रेषित करना है, जो कि नहीं किया गया।

(ii) मांग सूचना प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के अंदर यदि कर नहीं देता है तो कुर्की जब्ती करना है, जो कि नहीं किया गया।

(iii) बकाया कर वसूली हेतु बिहार लोक मांग (वसूली) अधिनियम 1914 की धारा 123 ए के तहत कार्रवाई करनी है, जो कि नहीं किया गया।

(iv) बकाया वसूली हेतु दीवानी मुकदम नहीं किया गया।

(v) 1986-87 के बाद गृह कर आदि का पुनरीक्षण भी नहीं किया गया जो कि प्रत्येक पांच वर्ष पर करना है।

अतः गृह कर आदि की वसूली हेतु कानुनी कार्रवाई की जाय एवं गृह कर का पुनरीक्षण वर्गफीट के आधार पर अविलम्ब की जाय ताकि नगर परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाय।

11. (III) वृतियों व्यापारो आजीविकाओं और नियोजनों पर कर संग्रह की स्थिति स्थिति दयनीय :-

बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 150 (क) के आलोक में नगर परिषद के क्षेत्र में वृतियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों में भी किसी संचालन करने पर हर व्यक्ति को कर चूकाने का दायी होगा। छमाही लाइसेस लेना होगा। नगर परिषद के अंतर्गत उपरोक्त वृत्तियों आदि हेतु उस वर्ष में हुई आय पर अधिरोपित किया जायेगा जो करारोपण के वर्ष से ठीक पहले के वर्ष में हुई हो।

अंकेक्षण में ज्ञात हुआ कि वृतियों व्यापारों एवं आजीविकाओं आदि हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया था। मांग एवं वसूली पंजी भी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में वर्ष 2008-09 में कुल मांग की राशि ज्ञात नहीं हो सका। रोकड़पाल के रोकड़ बही से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008-09 में पेशाकर में कुल 34170.00रूपये प्राप्त हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

क्रमांक	कर संग्रह कर्त्ता का नाम	संगृहीत राशि
1	श्री उमेश प्रसाद	9420
2	श्री राम कुमार ओझा	1230
3	श्री राम बल्लभ वर्मा	2380
4	श्री विजेश्वर प्रसाद यादव	5120
5	श्री ललन प्रसाद सिंह	2040
6	श्री विष्णु देव साह	4960

7	श्री ललित भूषण प्रसाद	6900
8	श्री सुभाष चन्द्र चौधरी	670
9	श्री अरूण कुमार झा	600
10	श्री मनोज कुमार यादव	520
11	श्री लाल बहादुर साह	3180
12	श्री अरूण कुमार साह	1600
13	श्री भुपेन्द्र कुमार सिंह	250
	कुल	34170

जिला स्तरीय समस्तीपुर नगरपरिषद में वर्ष 2008-09में पेशाकर के रूप में मात्र 34170.00 रूपये की वसूली से स्पष्ट होता है कि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पेशाकर की मांग की राशि बढ़ाने एवं उसकी वसूली हेतु किसी तरह की कानूनी कारवाई नहीं की गयी थी। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेशाकर के प्रति उदासीनता के कारण कर संग्रह की स्थिति दयनीय थी।

अतः नगर परिषद के अंतर्गत पेशाकर हेतु सर्वेक्षण कराया जाय। मांग एवं वसूली पंजी को संधारित करवाया जाय। पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर संग्रहण पर ध्यान दिया जाय।

11. (iv) सरकारी भवनों के गृह कर का बकाया :-

नगर परिषद के द्वारा समर्पित सरकारी भवनों के विरूद्ध गृह कर का बकाया की सूची जिसमें वर्ष 2008-09 तक में 1153737.58 रूपये गृहकर के रूप में बकाया दर्शाया गया है। जिसका ब्यौरा निम्नवत् है -

कमांक	कार्यालय/विभाग का नाम	राशि
1	अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर	18220.00
2	जिला एवं सत्र न्यायाधीश समस्तीपुर	244018.00
3	प्रबंधक बिहार राज्य, युगर कारपोरेशन लिमिटेड, समस्तीपुर	132551.00
4	कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल समस्तीपुर	47291.58
5	आरक्षी अधीक्षक, समस्तीपुर	2071.00
6	जिला अभियंता, जिला परिषद, समस्तीपुर	28593.00
7	कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग, समस्तीपुर	174988.00
8	एस0विजय राघवन स्टेडियम समस्तीपुर	287200.00
9	समाहरणालय, समस्तीपुर	218805.00

कुल | 1153737.58

नगर परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित विभाग के उच्च पदाधिकारी से अनुरोध नहीं किया गया था। बिहार सरकार से अनुरोध किया जाय कि संबंधित विभाग को निदेश दे कि नगर परिषद गृह कर का बकाया राशि का भुगतान नगर परिषद समस्तीपुर को अविलम्ब कर दे।

11. (v) खतरनाक एवं भयावह व्यापार का बकाया राशि :–

खतरनाक एवं भयावह की मांग एवं वसूली पंजी या संधारण भलीभाँति नहीं किया गया था। गत वर्ष का बकाया, चालु वर्ष की राशि एवं वसूली की गयी राशि को रसीद संख्या एवं दिनांक के साथ अंकित करना चाहिए था। वर्ष के अंत में संतुलन करना चाहिए था बचत राशि को दुसरे वर्ष में बकाया राशि के रूप में दर्शाना चाहिए था, ऐसी स्थिति में नगर परिषद द्वारा समर्पित बकाया की राशि की जांच नहीं हो सकी।

अतः खतरनाक एवं भयावह पंजी को भली भाँति संधारित किया जाय। नगर परिषद द्वारा समर्पित सूची में खतरनाक एवं भयावह व्यापार की अनुज्ञाप्ति की बकाया राशि 28110.00 रूपये दर्शाया गया है। बिना अनुज्ञप्ति के व्यापार का संचालन नहीं करना चाहिए था। लेकिन व्यापार का संचालन होता रहा। नगरपरिषद द्वारा इस पर किसी तरह की कानुनी कार्रवाई नहीं की गयी।

अतः अनुज्ञप्ति के रूप में बकाया 28110.00 रूपये की वसूली हेतु कार्रवाई की जाय एवं नगर परिषद के अंदर सर्वेक्षण की जाय कि बिना अनुज्ञप्ति के उपरोक्त व्यापार का संचालन न हो।

12. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर को राज्य के संचित निधि में जमा नहीं किया गया :–

बिहार सरकार के निर्देशानुसार गृह कर पर शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली नगरपालिका को सौंपा गया है। नगरपरिषद को 10 प्रतिशत संग्रहण प्रभार की राशि की कटौती कर शेष राशि को राजकीय संचित निधि के अंतर्गत संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करना था। लेकिन अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि नगर परिषद, समस्तीपुर द्वारा संगृहीत शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संचित निधि में जमा नहीं किया गया जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :–

क्र0सं0	अवधि	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	अभ्युक्ति
1	2006-07	35/2869.38	3592/90.09	अंकेक्षण प्र0सं0 419/ 07-08 की कंडिका 15 के अनुसार
2	2007-08	277761.54	277881.10	अंकेक्षण प्र0सं0 384/ 08-09की कंडिका 19
3	2008-09	24/616.00	24/649.00	
योग		4098246.92	4118320.19	
संग्रहण प्रभार 10%		409824.69	411832.00	
संचित निधि में जमा हेतु		3688422.22	3706488.19	

3688422.22 रूपये शिक्षा उपकर के रूप में एवं 3706488.19 रूपये स्वास्थ्य उपकर के रूप मे कुल राशि 7394910.41 रूपये को राज्य सरकार के संचित निधि के तहत संबंधित राजस्व शीर्ष में अविलम्ब जमा कर दें एवं उसे अगले अंकेक्षण में दिखावें

13. सैरातों की बंदोबस्ती :-

बस स्टैण्ड, गुदरी बाजार, अंश बाजार, साईकिल/रिक्शा रजिस्ट्रेशन, ट्रेंचिंग मैदान आदि नगर परिषद के मुख्य सैरात है जिसकी बंदोबस्ती से प्रतिवर्ष इसे 30-35 लाख रूपये आय होती है। परंतु नगर परिषद द्वारा इन सैरातों की बंदोबस्ती से सम्बन्धित बंदोबस्ती पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि नगर परिषद की कुल कितनी सैरात हैं, उनमें कितनी की बंदोबस्ती हुई, कितनी की बंदोबस्ती नहीं हुई, किन-किन बंदोबस्तदार के विरूद्ध कितनी राशि कब से बकाया है। अतः बंदोबस्ती संचिका का संधारण किया जाए, जिसमें उपर वर्णित मदों के अलावे बंदोबस्ती राशि, बंदोबस्तदार का नाम, वसूली राशि विभिन्न रसीद संख्या सहित दर्ज होनी चाहिए।

बंदोबस्त संचिका के अवलोकन में निम्न त्रुटियाँ/कमी पायी गयी :-

(क) बंदोबस्त राशि की कम/नहीं वसूली :-(रू0 11860) :-

रिक्शा रजिस्ट्रेशन वर्ष 2008-09, किलखाना वर्ष 2008-09 की बंदोबस्त संचिका की नमूना जांच में पाया कि बंदोबस्त राशि 11860.00 रूपये की वसूली अब तक नहीं हो पाई हैं। विवरण नीचे है :-